WWW.LIVELAW.IN

से लोक व्यवस्था पूरी तर छिन्न भिन्न हो गयी, चारो तरफ अफरातफरी व भगदड़ मच गयी। करोड़ों रुपयों की सरकारी सम्पत्ति व निजी सम्पत्ति का नुकसान हुआ व सम्पत्ति जलकर राख हो गयी। उपरोक्त घटनाक्रम में प्रभारी निरीक्षक, हजरतगंज, उनके हमराही पुलिसकर्मी, महिला पुलिस बल तथा पुलिस के उच्चाधिकारी काफी चोटहिल हो गये तथा सी०ओ० श्री उपेन्द्र कुमार के सिर में गम्भीर चोटें आयीं। मौके पर हमलावरों में से कुछ लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस बल द्वारा आंसू गैस, रबर बुलेट तथा शार्ट रेन्ज सेल से चार कारतूस भी फायर किये गये। इसके अतिरिक्त लांग रेन्ज सेल के भी अश्रुगैस, मिर्ची हथगोला तथा फायर भी किये गये। पत्थरबाजी में कांस्टेबिल अंकुर कुमार की मैगजीन स्टड टूट गयी। मौके पर आवेदक/अभियुक्त सैफुल इस्लाम सहित कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तहरीर में यह भी अंकित किया गया कि उक्त घटनाक्रम 13:15 बजे से देर शाम तक चलता रहा। लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न रही तथा तनाव बना हुआ है। परिवर्तन चौक, हजरतगंज व आस–पास की सभी दुकानें दोपहर से बन्द है, मेट्रो रेल सेवा भी प्रभावित हुई है।

उपरोक्त आधार पर दिनांक 19–12–2019 को 23:17 बजे आवेदक/अभियुक्त सैफुल इस्लाम सहित कुल 34 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,148,149,152,307,323,504,506,332,353,188,435,436,120बी,427, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट की धारा 7, की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना हजरतगंज पर अंकित की गयी। प्रकरण जब विवेचना के स्तर पर था, तभी दिनांक 20–12–2019 को वरिष्ठ उप निरीक्षक विजय शंकर तिवारी ने अपने हमराही पुलिसकर्मियों के साथ उपरोक्त घटनाक्रम में चिन्हित लोगों में से चार व्यक्तियों को क्लार्क अवध तिराहे के पास से 08:45 बजे गिरफ्तार किया और ऐसे गिरफ्तारशुदा लोगों में से एक आवेदक/अभियुक्त मोहम्मद शोएब पुत्र आला मोहम्मद भी था।

5. प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 19–12–2019 के अपरान्ह 13:15 बजे से सायंकाल तक की बतायी जाती है तथा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन 23:17 बजे अंकित करायी गयी है।

न्यायालय के समक्ष प्रकरण की केस डायरी के पृष्ठ संख्या–19 दिनांकित 10–01–2020 तक प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अभी तक की विवेचना में भी इस तथ्य की कोई साक्ष्य संकलित नहीं की जा सकी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16–12–2019 का प्रकाशन किसी समाचार–पत्र में कराया गया हो। उपरोक्त आदेश 6 पृष्ठों में है तथा सम्बन्धित आदेश में यह उल्लिखित है कि "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीराम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण में निर्णय के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, – – – –कतिपय असामाजिक, जातिवाद, साम्प्रदायिक व राजनीतिक तत्व उपद्रव व हिंसात्मक कार्यवाही करके लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने

Scanned by CamScanner

WWW.LIVELAW.IN

का प्रयास कर सकते हैं, – – – –" तदैव लोक परिशान्ति भंग को रोकने के उद्देश्य से प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया गया, जिसमें कुल 38 बिन्दु समाहित थे। उपरोक्त विस्तृत सूचना से जन सामान्य को अवगत कराने हेतु स्थानीय समाचार–पत्रों में ऐसा कोई प्रकाशन किया गया हो, इस सन्दर्भ में अब तक की विवेचना में प्रकरण के विवेचक द्वारा कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गयी है।

न्यायालय के समक्ष दौरान तर्क अभियोजन पक्ष की ओर से यह कथन किया गया है कि अब तक की विवेचना में घटनाक्रम में की गयी आगजनी के सन्दर्भ में आवेदक/अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। प्रकरण की केस डायरी के पर्चा सख्या–1 में कथित रूप में चोटहिल पुलिस अधीक्षक, नगर (पूर्वी) श्री सुरेश चन्द्र रावत को आयी हुई चोटें सामान्य प्रकृति की बतायी गयी हैं, जबकि उप निरीक्षक श्री विजय शंकर तिवारी, उप निरीक्षक प्रियम्बन्द मिश्रा को मात्र दर्द की शिकायत होना बतलाया गया है।

आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। इनके घटनास्थल पर उपस्थित होने के सन्दर्भ में कोई सकारात्मक साक्ष्य अब तक की विवेचना में संकलित नही की गयी है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध वस्तुतः घटनाक्रम के सम्बन्ध में षडयन्त्र का आरोप है। उपरोक्तानुसार आवेदक/अभियुक्त का नाम व घटनाक्रम में उक्त प्रकार से इनकी संलिप्तता बतायी गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपराध की प्रकृति एवं मामले की परिस्थितियों में उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन–पत्र कतिपय शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **मो0 शोएब** का जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **पचास हजार रुपये** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी राशि की **दो** जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर इन्हें निम्नांकित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:–

(1) अभियुक्त विवेचक द्वारा आहूत किये जाने की स्थिति में उपस्थित होंगे तथा विवेचना में सहयोग करेंगे।
(2) अभियुक्त किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं होंगे।
(3) अभियुक्त प्रकरण में घटनाक्रम से सम्बन्धित किसी भी साक्षी को किसी भी रूप में प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

दिनांक: 15–01–2020

शिवराम निगम, स्टेनो/–

Scanned by CamScanner

WWW.LIVELAW.IN

धारा–147,148,149,152,307,323,504,...
188,435,436,120बी,427 भा0द0सं0,
धारा 3 एवं 4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान
निवारण अधिनियम एवं धारा 7 क्रि0लॉ0अमे0एक्ट,
थाना हजरतगंज, लखनऊ

15–01–2020

1. मुकदमा अपराध संख्या 600/2019, अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,148,149,152,307,323,504,506,332,353,188,435,436,120बी,427, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 व 4 तथा क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेंट ऐक्ट की धारा 7, थाना हजरतगंज, लखनऊ के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त मो0 शोएब का जमानत आवेदन–पत्र प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा दिनांक 06–01–2020 को निरस्त होने के उपरान्त, यह जमानत आवेदन–पत्र सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो अन्तरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत आवेदन पत्र में यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है तथा दिनांक 18–12–2019 को सायं 06:3 बजे से उसे अपने घर में ही निरुद्ध कर दिया गया था तथा दिनांक 19–12–2019 को रात्रि 11:45 बजे पुलिस द्वारा यह कह कर लिया ले जाया गया कि सी0ओ0 साहब मिलना चाहते हैं। यह भी कहा गया है कि इस सन्दर्भ में आवेदक/अभियुक्त की पत्नी द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके शासकीय मोबाइल नम्बरों पर सूचित किया गया। आवेदक/अभियुक्त की ओर से ऐसे किसी गिरफ्तारी के कारण दर्शित न किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 36848/2019 भी दिनांक 20–12–2019 को प्रस्तुत की गयी, जहाँ प्रथम बार यह जानकारी हुई कि आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में जेल भेजा गया है। आवेदक/अभियुक्त एक सामाजिक कार्यकर्ता है, 76 वर्ष का व्यक्ति एवं दिल का मरीज है। सरकार की नीतियों का लोकतान्त्रिक व शान्तिपूर्ण विरोध करना, या उसका आवाहन करना संवैधानिक अधिकार है। अन्ततः यह कहा गया है कि प्रकरण के सह अभियुक्त एस0आर0 दारापुरी की जमानतें इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं।

जमानत आवेदन का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता

Scanned by CamScanner

WWW.LIVELAW.IN

फौजदारी की ओर से यह तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त शोएब रिहाई मंच संगठन का अध्यक्ष है तथा प्रकरण के मुख्य षड़यन्त्रकर्ताओं में से एक है तथा इनके द्वारा ही दिनांक 19-12-2019 को परिवर्तन चौक पर धरने में सम्मिलित होने के लिए लोगों को उत्प्रेरित एवं दुष्प्रेरित किया गया था। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 की कार्यवाही भी की गयी थी। आवेदक/अभियुक्त पेशे से अधिवक्ता है तथा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ही इन्होंने अपनी पत्नी को बदल दी है।

3. आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

4. प्रकरण में श्री धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा, प्रभारी निरीक्षक, हजरतगंज ने थाना हजरतगंज पर इस आशय की लिखित तहरीर दी कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 एवं नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन बिल को लेकर आइसा, रिहाई मंच, वामसेफ, पीएफआई, [illegible] [illegible] मोर्चा, नागरिक एकता पार्टी आदि संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा परिवर्तन चौक में दिनांक 19-12-2019 को दोपहर दो बजे भारी संख्या में उक्त दोनों बिलों/अधिनियम के विरोध स्वरूप एकत्र होने के लिए जन सामान्य से सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से अपील की जा रही थी, जबकि शहर में धारा 144 द०प्र०सं० लागू थी। प्रशासन द्वारा इस प्रकार के जुलूस, धरना व प्रदर्शनों को अवैधानिक व विधि विरुद्ध घोषित करते हुए प्रतिबन्धित कर दिया गया था तथा इसकी सार्वजनिक सूचना प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से तथा सम्बन्धित थानों से प्रचारित व प्रसारित की गयी कि विधि विरुद्ध जमाव एवं भीड़ द्वारा कोई अवैधानिक व विधि विरुद्ध कार्य न किया जा सके। उक्त हेतु जब वह अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में परिवर्तन चौक पर मौजूद थे, तब दोपहर 12:15 बजे अलग-अलग रास्तों से पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार काफी संख्या में लोग परिवर्तन चौक की तरफ आने लगे, जिन्हें वहाँ मौजूद कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन एवं जुलूसों के प्रतिबन्धित होने के बारे में समझाया गया तथा वापस चले जाने को कहा गया, किन्तु उपरोक्त संगठनों के पदाधिकारी के आवाहन पर एकत्रित हुई भीड़ बातों को अनसुना करते हुए उग्र होने लगी तथा सरकारी बस यूपी 32 एटी 3409, न्यूज नेशन मीडिया की ओबी वैन [illegible] यूपी 14 सीटी 8834 व आजतक व न्यूज 18 की गाड़ी में व एक अर्टिगा कार व एक मोटरसाइकिल जिसका नम्बर यूपी 32 ऐएफ 8408 मोटरसाइकिल पैशन प्रो व पुलिस कर्मचारियों की स्कूटी व मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी गयी। बेगम हजरत महल पार्क की रेलिंग को तोड़कर अन्दर घुसकर तोड़फोड़ किया गया तथा सहादत अली का मकबरा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया व आगजनी करते हुए दहशत का माहौल पैदा कर पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से अवैध असलहों, पेट्रोल बम व लाठी, डण्डा, ईंट पत्थर से जानलेवा हमला किया। उक्त कृत्य

Scanned by CamScanner